<u>कार्यालय नियंत्रक, नाप तौल, म.प्र. भोपाल</u>

क्रमांक 173/नातौ/अ–3/2006,   भोपाल दिनांक 6.2.2006

प्रति,

समस्त उप/सहायक नियंत्रक,
नाप तौल, म.प्र.

विषयः– सुधारक अनुज्ञाप्तियां स्वीकृत करने बावत्।

बांट तथा माप मानक अधिनियम 1985 की धारा 19 में नाप तौल उपकरणों के निर्माण विक्रय एवं सुधार हेतु संबंधित व्यक्तियों द्वारा नियंत्रक से तदाशय की अनुज्ञप्ति ली जाना एवं इनका नवीनीकरण कराना प्रावधानित है।

इस कार्यालय के ज्ञापन क्रं. 9808/नातौ/अनु/95, दिनांक 23.11.95 3423/नातौ/अ–3/दिनांक 25.6.97 तथा 6188/नातौ/अनु/दिनांक 17.9.99 द्वारा छोटे नापतौल उपकरणों विक्रय करने एवं सुधारने के लिये अनुज्ञाप्तियां स्वीकृत करने के संबंध में उपनियंत्रक/सहायक नियंत्रक को अधिकृत किया गया है, एवं इस कार्यालय के ज्ञापन क्रं. 9128/नातौ/अ–2, दिनांक 4.8.90 द्वारा अनुज्ञाप्तियों के नवीनीकरण किये जाने के लिये उप/सहायक नियंत्रकों को अधिकृत किया गया है निके अंतर्गत वे अनुज्ञप्ति आवेदनों के निराकरण की कार्यवाही करते है।

उपरोक्त आदेशो को अधिक्रमित करते हुए बांट तथा माप मानक अधिनियम 1985 की धारा 19 तथा म.प्र. बांट तथा माप मानक नियम 1989 के नियम 12(4) एवं 12 (9) में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत अब समस्त प्रकार क नापतौल उपकरणों के सुधार के लिये उप/सहायक नियंत्रक नापतौल को उनके कार्यक्षेत्र के जिलों के अंतर्गत सुधारक अनुज्ञप्तियों स्वीकृत करने एवं सुधारक अनुज्ञप्तियों के नवीनीकरण करते हेतु अधिकृत किया जाता है। अब निम्नानुसार उप/सहायक नियंत्रक नापतौल अपने कार्यक्षेत्र के जिलों के अंतर्गत सुधारक अनुज्ञप्तियां स्वीकृत एवं नवीनीकरण कर सकेंगे :–

उप/सहायक नियंत्रक नापतौल अपने कार्यक्षेत्रांतर्गत स्थित कर्मशाला से संबंधित संस्थान को, सुधारक अनुज्ञप्ति के आवेदन अनुसार अनुज्ञप्ति स्वीकृत करेंगे, वर्तमान में प्रत्येक जिले के लिये पृथक–पृथक अनुज्ञप्तियां ली जाना प्रचलित है किंतु यदि आवेदन उप/सहायक नियंत्रक के कार्यक्षेत्रांतर्गत आने वाले जिलो के लिये ही सुधारक अनुज्ञप्ति जारी करने के लिये आवेदन दिया जाता है तो उन सभी जिलों का उल्लेख किया जाकर संबंधित णेन के लिए एक ही अनुज्ञप्ति स्वीकृत की जाकर जारी

की जा सकेगी किंतु स्वीकृति/नवीनीकरण के लिये अनुज्ञप्ति शुल्क जिले के आधार पर गणना कर लिया जावेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई सुधारक, उप/सहायक नियंत्रक के कार्यक्षेत्र से बाहर के जिले/जिलों अथवा संपूर्ण मध्यप्रदेश के लिये नवीन अनुज्ञप्ति स्वीकृति या अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण किये जाने के लिये आवेदन प्रस्तुत करता है तो इस प्रकार के आवेदन नियंत्रक नापतौल कार्यालय को प्रेषित किये जावेगे एवं इन आवेदनों का निराकरण इस कार्यालय द्वारा किया जावेगा।

म.प्र. बांट तथा माप मानक नियम 1989 के नियम 12(7) सहपठित अनुसूची–9 में प्रत्येक सुधारक अनुज्ञप्तिधारी को सुरक्षा निधि जमा कराना आवश्यक है यह सुरक्षा राशि उपनियंत्रक/सहायक नियंत्रक के कार्यक्षेत्र के जिलो के लिये जारी अनुज्ञप्ति के लिये अनुसूची–9 अनुसार एक ही राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा राष्ट्रीयकृत बैक की सावधिक जमा राशि के रूप में जमा करायी जा सकेगी यह स्पष्ट किया जाता है कि यह सुविधा केवल सुरक्षा निधि जमा कराये जाने के लिए है जहां तक अनुज्ञप्ति के स्वीकृति एवं नवीनीकरण हेतु शुल्क लिया जाना है यह शुल्क जिले की संख्या के आधार पर ही लिया जावेगा।

नवीन सुधारक अनुज्ञप्तियां स्वीकृत करने के पृष्ठांकन मुख्यालय को किये जाएगें एवं इनके साथ आवेदन पत्र सहमति पत्र घोषणा पत्र एवं अन्य संबंधित समस्त अभिलेख अनिवार्यत प्रेषित किये जावेगे साथ ही अनुज्ञप्ति जारी करने का पृष्ठांकन भी मुख्यालय को किया जावेगा एवं इसके साथ जारी की गई अनुज्ञप्ति की छायाप्रति अनिवार्यत संलग्न कर प्रेषित की जायेगी। इसी तरह अनुज्ञप्यिों के नवीनीकरण किये जाने के पृष्ठांकन भी मुख्यालय को अनिवार्यत प्रेषित किये जावेंगे। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अनुज्ञप्ति स्वीकृति जारीकरने एवं नवीनीकरण में यदि कोई त्रुटि या अनियमितता पाई गई तो उप/सहायक नियंत्रक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होंगे।

नियंत्रक
नाप तौल, म.प्र. भोपाल